R-1184-III/14

B.O.R.

19 MAR 2014

श्री विनोद जैन ... द्वारा प्रस्तुत ... 250 ...
कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म. प्र.)

37
22-3-14

28/3/14

न्यायालय सम्मानीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर म०प्र०

विजय कुमार बल्द कृपाशंकर भट्ट (कृपाशंकर भट्ट)
निवासी- डी-23 नवा सिटी पैराडाइस ,
दानिस कुंज के पास कोलार रोड भोपाल
जिला भोपाल (म०प्र०)

-- पुनरीक्षणकर्त्ता

विरूद्ध

(1) शैलेन्द्र बल्द स्व० रामनारायण पटेल
(2) सत्येन्द्र बल्द स्व० रामनारायण पटेल
(3) गोपाल बल्द स्व० रामलाल पटेल
(4) बलराम बल्द स्व० रामलाल पटेल
(5) राजाराम बल्द स्व० रामलाल पटेल
(6) नेतराम बल्द स्व० रामलाल पटेल
(7) चर्तुभुज बल्द स्व० रामलाल पटेल
(8) मनोरमा बाई पुत्री स्व० रामलाल पटेल
(9) चंदाबाई पुत्री स्व० रामलाल पटेल

सभी निवासी- पटेलनगर वार्ड सागर तहसील व जिला सागर (म०प्र०)

-- रेस्पाडेन्ट

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता

पुनरीक्षण कर्त्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करते हैं :-

पुनरीक्षण कर्त्ता का पुनरीक्षण
अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान
[illegible]

51-अ|6|वर्ष 2012-013 में पारित आदेश दिनांक 4-2-2014 से परिवेदित होकर सम्माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है ।

(1):- यह कि सम्माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किया जाना न्यायहित में है ।

(2):- यह कि पुनरीक्षण कर्ता व विजय भट्ट की मां स्व० श्रीमति अरुंधती भट्ट ने पुनरीक्षण कर्ता के पक्ष में वसीयत नामा लेख किया था । वसीयत नामा के आधार पर मौजा- सागर खास पटवारी हल्का नंबर-65 तहसील व जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 295|3 रकबा 0-081 तथा खसरा नंबर- 296|3 रकबा 0-113 हेक्टेयर भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र पुनरीक्षण कर्ता ने श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर को दिया था । जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर ने वैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए विधिवत् इश्तहार जारी करके तथा साक्ष्य लेकर आदेश पारित किया था ।

(3):- यह कि रेस्पाडेन्ट ने प्रकरण क्रमांक-127-अ|6 | वर्ष 2010-011 में पारित आदेश दिनांक 29-10-2011 के विरूद्ध अपील दिनांक 12-12-2012 को प्रस्तुत की है । जो एक वर्ष दो माह अर्थात् करीब 425 दिन विलंबित है । जबकि श्रीमान - तहसीलदार महोदय के आदेश के विरूद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 30 (तीस) दिन है । श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सागर ने अत्यंत विलंबित अपील को जानकारी दिनांक से समय- सीमा में मानने में भूल की है । उक्त आदेश से परिसीमा अधिनियम के -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1184–तीन/2014 जिला सागर

विजय कुमार विरूद्ध शैलेन्द्र आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर के प्रकरण कमांक 51/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 4–2–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6–5–2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 07/3/19	